

04 03
18

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित,
जिस पीठासीन अधिकारी पर आरोप लगाकर
यह मुन्तकिली जालिनापत्र पेश किया गया
है। उनका अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने
एवं हमारे पीठासीन अधिकारी द्वारा दफ्तरेख्त
कर लेने के कारण यह मुन्तकिली जालिना-
पत्र प्रभावहीन हो गया है। अतः यह
मुन्तकिली जालिनापत्र खारिज किया जाता है।
अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की
प्रति के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली कैमल
शुमार होकर बाद तकमिल दारखिल दफ्तर हो।


जिला कलेक्टर
करोली